उद्योगों, बिल्डरों को शीघ्र कनेक्शन देगा विभाग

अच्छी खबर | 1 |

लखनऊ, विशेष संवाददाता। बड़े उपभोक्ता, बिल्डर्स और औद्योगिक संगठनों को अब बिजली का कनेक्शन पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदन आने के साथ ही बिजली महकमें के अधिकारी इनसे मुलाकात करेंगे। कनेक्शन से संबंधित जानकारियां देंगे और जल्द से जल्द कनेक्शन देने का काम करेंगे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रस्तावित लक्ष्यों में इसे प्रमुखता से शामिल किया है। बड़े उपभोक्ताओं को अल्पकालीन और स्थाई कनेक्शन दोनों दिए जाने के संबंध में अधिकारी संबंधित बिल्डर, औद्योगिक संगठन और बड़े उपभोक्ता के साथ बैठक करेंगे। सभी श्रेणी के आवेदन के संबंध में पूर्व से तय नगर निगम क्षेत्र में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हर पखवाड़े कनेक्शनों की समीक्षा की जाएगी।

पुराने मकान मालिक से एनओसी की बाध्यता खत्म

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने संपत्ति का मालिक बदलने पर बिजली का नया कनेक्शन दिए जाने अथवा पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की बड़ी बाधा को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक मकान के नये मालिक को अब बिजली कनेक्शन लेने अथवा नाम परिवर्तन कराने के लिए पुराने मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।